जन शिकायतों के निस्तारण में सूबे में अव्वल श्रावस्ती पुलिस

- शत-प्रतिशत अंक प्राप्त कर आठ थानों को मिला पहला स्थान
- पुलिस अधीक्षक ने थपथपाई पीठ लय बनाए रखने के दिए निर्देश

जासं ● श्रावस्ती: जन शिकायतों के निस्तारण में जिले की पुलिस जोन गोरखपुर के साथ प्रदेश में अव्वल है। शासन की ओर से जून माह की जारी रैंकिंग में यह उपलब्धि मिली है। जिले के नौ थानों में आठ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में पहला स्थान बनाया गया है। एसपी राहुल भाटी ने थानाध्यक्षों की पीठ थपथपाने के साथ कार्य कुशलता की लय बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

आम आदमी को समस्या के समाधान के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए शिकायत का आनलाइन मंच निर्धारित किया गया है। आइजीआरएस (समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली) के तहत प्राप्त होने वाली शिकायतों को तय समय में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश एसपी ने सभी थानों को दिए हैं। इसकी समीक्षा के लिए एएसपी चंद्रकेश सिंह को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। सभी सीओ को नियमित मानीटरिंग करने को कहा गया है।

आइजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त प्रकरणों की मानीटरिंग करते आरक्षी संचित शुक्ला ● पुलिस विभाग

ऐसे हुआ काम: एसपी ने बताया कि शिकायतों के निस्तारण में कोई भी संदर्भ डिफाल्टर नहीं हुआ। सी श्रेणी में भी नहीं जाने दिया गया। जिले के सभी थानों में वादी का संतोषजनक फीडबैक 91.28 प्रतिशत रहा। भूमि विवाद की शिकायतों को पुलिस व राजस्व की संयुक्त टीम ने समय सीमा में हल किया।

एसपी कार्यालय में स्थापित आइजीआरएस शाखा की ओर से विधिवत मानीटरिंग की गई। आइजीआरएस प्रभारी विपेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में आरक्षी अशोक कुमार, उदय प्रताप सिंह, संचित शुक्ला व महिला आरक्षी सपना ने आइजीआरएस पर प्राप्त सभी प्रकरणों की मानीटरिंग की और समय सीमा के अंदर निस्तारण कराया। पूरी टीम ने मनोयोग से काम किया तो बड़ा परिणाम भी सामने आया। जून माह के परिणाम में भिनगा कोतवाली, सिरसिया थाना, हरदत्तनगर गिरंट, सोनवा, गिलौला, नवीन मार्डन श्रावस्ती, मल्हीपुर व महिला थाना शत-प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है।

दहेज हत्या मामले में दोषी को 10 वर्ष की सश्रम कैद

श्रावस्ती पुलिस की प्रभावी पैरवी रंग लाई, न्यायालय ने 10 हजार अर्थदंड भी लगाया

» सद्भावना का प्रतीक

श्रावस्ती। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देशन में महिला संबंधी अपराधों एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मामलों में प्रभावी पैरवी और शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने की मुहिम लगातार जारी है। इसी क्रम में चिन्हित अभियोगों की स्वयं पुलिस अधीक्षक द्वारा नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं, अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह ने संबंधित थाना प्रभारियों एवं न्यायालय पैरोकारों को मामलों के त्वरित निस्तारण एवं दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।

इन्हीं निर्देशों के अनुपालन में मॉनिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, शासकीय अधिवक्ता तथा कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप 2 जुलाई 2026 को जिला एवं सत्र न्यायालय, श्रावस्ती ने थाना सिरसिया में पंजीकृत मु.अ.सं. 103/2019 (धारा 498ए, 304बी भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम) के मामले में अभियुक्त फरियाद पुत्र सूबेदार, निवासी खैरी तराई, थाना सिरसिया, जनपद श्रावस्ती को दोषी करार दिया।अभियोजन के अनुसार, अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। साथ ही अभियुक्त के अपनी विधवा भाभी से अवैध संबंध होने तथा बाद में उससे विवाह कर लेने के कारण मृतका इसका विरोध करती थी। आरोप है कि इसी विवाद के चलते अभियुक्त एवं उसके परिजनों ने एक राय होकर उसकी हत्या कर दी।

साक्ष्यों एवं प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ?10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह निर्णय महिला अपराधों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और प्रभावी अभियोजन का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।